[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2013

No. 28 /2013-Customs

G.S. R. (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act,1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Customs, dated the 17th March,2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),*vide* G.S.R.185 (E), dated the 17th March,2012, namely:-

In the said notification, in the ANNEXURE,-

(I) against Condition No.41, in clause (c), in sub clause (iv), after the proviso, the following shall be inserted, namely:-

"(d) where the goods so imported by the licensee or a sub-contractor of the licensee are sought to be transferred, the importer produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of such transfer, the following, namely:-

(i) a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the said goods may be transferred in the name of another sub-contractor of the licensee or another licensee or a sub-contractor of such licensee (hereinafter referred to as the "transferee") and that the said goods are required for petroleum operations to be undertaken under petroleum exploration or mining leases referred to in clause (a);

(ii) undertaking from the transferee to comply with all the conditions of the notification, including that he shall pay duty, fine or penalty that may become

payable, if any of the conditions of the notification are not complied with by himself, where he is the licensee or by the licensee of the transferee, where such transferee is a sub-contractor;

(iii) a certificate, in the case of a petroleum exploration license or mining lease, as the case may be, issued or renewed after the 1st of April, 1999, by the Government of India or any State Government on nomination basis, that no foreign exchange remittance is made for the transfer of such goods undertaken by the transferee on behalf of the licensee or lessee, as the case may be:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply if such transferee is an Indian Company or Companies.";

(II) against Condition No.43, in clause (c), in sub clause (iv), after the proviso, the following shall be inserted, namely:-

"(d) where the goods so imported by the contractor or a sub-contractor of the contractor are sought to be transferred, the importer produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of such transfer, the following, namely:-

(i) a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the said goods may be transferred in the name of another sub-contractor of the contractor or another contractor or a sub-contractor of such contractor (hereinafter referred to as the "transferee") and that the said goods are required for petroleum operations to be undertaken under a contract referred to in clause (a);

(ii) undertaking from the transferee to comply with all the conditions of the notification, including that he shall pay duty, fine or penalty that may become payable, if any of the conditions of the notification are not complied with by himself, where he is the contractor or by the contractor of the transferee, where such transferee is a sub-contractor;

(iii) a certificate, in the case of a contract entered into by the Government of India and a Foreign Company or Companies or, the Government of India and a

consortium of an Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies, that no foreign exchange remittance is made for the transfer of such goods undertaken by the transferee on behalf of the Foreign Company or Companies, as the case may be:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply if such transferee is an Indian Company or Companies.";

(III) against Condition No.44, in clause (c), in sub clause (iv), after the proviso, the following shall be inserted, namely:-

"(d) where the goods so imported by the contractor or a sub-contractor of the contractor are sought to be transferred, the importer produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of such transfer, the following, namely:-

(i) a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the said goods may be transferred in the name of another sub-contractor of the contractor or another contractor or a sub-contractor of such contractor (hereinafter referred to as the "transferee") and that the said goods are required for such petroleum operations or coal bed methane operations, as the case may be, to be undertaken under a contract referred to in clause (a);

(ii) undertaking from the transferee to comply with all the conditions of the notification, including that he shall pay duty, fine or penalty that may become payable, if any of the conditions of the notification are not complied with by himself, where he is the contractor or by the contractor of the transferee, where such transferee is a sub-contractor;

(iii) a certificate, in the case of a contract entered into by the Government of India and a Foreign Company or Companies or, the Government of India and a consortium of an Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies, that no foreign exchange remittance is made for the transfer of such goods undertaken by the transferee on behalf of the Foreign Company or Companies, as the case may be:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply if such transferee is an Indian Company or Companies.”.

[F. No. B1/20/2013-TRU]

(Raj Kumar Digvijay)
Under Secretary to the Government of India

Note.- The principal notification No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and last amended *vide* notification No-. 27/2013-Customs, dated the 10th May, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.301 (E), dated the 10th May, 2013.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>अधिसूचना</u>

सं. 28 /2013-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई, 2013

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, संतुष्ट होते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3 उपखंड-(i) में सा.का.नि. 185(अ) दिनांक 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशेधन करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में, परिशिष्ट में:-

(I) खंड (ग) के उपखंड (iv) के परंतुक के बाद शर्त सं. 41 के सामने निम्न अंत:स्थापित किया जाएगा; -

(घ) ''जहां अनुज्ञप्तिधारी अथवा अनुज्ञप्ति के उपसंविदाकार द्वारा इस प्रकार आयात किये गये माल को अंतरित करने की मांग की जाती है तो आयातकर्ता हस्तांतरण के समय, उपायुक्त, सीमा शुल्क अथवा सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, को निम्न प्रस्तुत करेगा, अर्थात:-

(i) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उपयुक्त माल को अनुज्ञप्तिधारी के अन्य उपसंविदा का अथवा अन्य अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के उपसंविदाकार (तत्पश्चात अंतरिति के रूप में सदंर्भित) के नाम में हस्तांतरित कर दिये गये हैं तथा उपर्युक्त माल की खंड (क) में संदर्भित पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन अथवा माइनिंग लीज के अंतर्गत प्रारंभ किया गया कार्य पेट्रोलियम ऑपरेशन हेतु अपेक्षित है।

(ii) अंतरिति से इस आशय का वचन-पत्र कि इस अधिसूचना की सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है जिसमें यह भी शामिल है कि वह ऐसी किसी डयूटी, दंड अथवा शास्ति जो देय होगी, का भुगतान करेगा, यदि उसके द्वारा इस अधिसूचना की शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है, यहां वह एक अनुज्ञप्तिधारी अथवा अंतरिति की अनुज्ञप्ति द्वारा, जहां ऐसा अंतरिति एक उप संविदाकार है;

(iii) पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाईसेंस अथवा माइनिंग लीज के मामले में, जैसा भी मामला हो, उसे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा नामांकन आधार पर 1 अप्रैल, 1999 के बाद एक प्रमाण पत्र जारी किया गया अथवा उसका नवीकरण किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा पट्टाधारी की ओर से, जैसा भी मामला हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे माल के अंतरण के लिए कोई विदेशी मुद्रा का प्रेषण नहीं किया गया है:-

बशर्ते कि इस उपखंड में अंतर्निहित कोई बात तब लागू नहीं होगी जब तक कि अंतरिति कोई भारतीय कंपनी या कंपनियां हो।

(II) खंड (ग) के उपखंड (iv) के परंतुक के बाद शर्त सं. 43 के सामने निम्न अंत:स्थापित किया जाएगा; -

(घ) ''जहां अनुज्ञप्तिधारी अथवा अनुज्ञप्ति के उपसंविदाकार द्वारा इस प्रकार आयात किये गये माल को हस्तांतरित करने की मांग की जाती है वहां आयातकर्ता ऐसे हस्तांतरण के समय, उपायुक्त, सीमा शुल्क अथवा सहायक आयुक्त सीमा शुल्क को निम्न प्रस्तुत करेगा, अर्थात:-

(i) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के किसी विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उपयुक्त माल को संविदाकार के अन्य उपसंविदाकार अथवा अन्य संविदाकार अथवा ऐसे संविदाकार के उपसंविदाकार (तत्पश्चात अंतरिति के रूप में सदंर्भित) के नाम में अंतरित कर दिये गये है तथा उपर्युक्त माल की खंड क में संदर्भित संविदा के अंतर्गत पेट्रोलियम ऑपरेशन हेतु अपेक्षित है।

(ii) अंतरिति से इस आशय का बचन-पत्र कि इस अधिसूचना की सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है जिसमें यह भी शामिल है कि वह ऐसी किसी डयूटी, दंड अथवा शास्ति जो देय होगी, का भुगतान करेगा यदि उसके द्वारा इस अधिसूचना की शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है, यहां वह एक संविदाकार अथवा अंतरिति के संविदाकार द्वारा, जहां ऐसा आंतरिति एक उप संविदाकार है;

(iii) भारत सरकार तथा किसी विदेशी कंपनी अथवा कंपनियों अथवा भारत सरकार तथा किसी भारतीय कंपनी अथवा कंपनियों और किसी विदेशी कंपनी अथवा कंपनियों के संघ द्वारा की गई संविदा के मामले में इस आशय का प्रमाण पत्र कि अंतरिति द्वारा ऐसे माल के हस्तांतरण के लिए विदेशी कंपनी अथवा कंपनियों की ओर से, जैसा भी मामला हो, द्वारा कोई विदेशी मुद्रा प्रेषण नहीं की गई है;

बशर्ते इस उपखंड में अंतर्निहित कोई बात तब लागू नहीं होगी जब तक कि अंतरिति कोई भारतीय कंपनी या कंपनियां हो।

(II) खंड (ग) के उपखंड (iv) के परंतुक के बाद शर्त सं. 44 के सामने निम्न अंतःस्थापित किया जाएगा; -

(घ) ''जहां अनुज्ञप्तिधारी अथवा अनुज्ञप्ति के उपसंविदाकार द्वारा इस प्रकार आयात किये गये माल को अंतरित करने की मांग की जाती है वहां आर्यातकर्ता ऐसे अंतरण के समय, उपायुक्त, सीमा शुल्क अथवा सहायक आयुक्त सीमा शुल्क को निम्न प्रस्तुत करेगा, अर्थात:-

(i) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के किसी विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उपयुक्त माल को संविदाकार के अन्य उपसंविदाकार अथवा अन्य संविदाकार अथवा ऐसे संविदाकार के उपसंविदाकार (तत्पश्चात अंतरिति के रूप में सदंर्भित) के नाम में अंतरित कर दिये गये है तथा उपर्युक्त माल की खंड क में संदर्भित संविदा के अंतर्गत पेट्रोलियम ऑपरेशन अथवा कोल बेड मिथेन ऑपरेशन, जैसा भी मामला हो, के कार्य हेतु अपेक्षित है।

(ii) अंतरिति से इस आशय का बचन-पत्र कि इस अधिसूचना की सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है जिसमें यह भी शामिल है कि वह ऐसी किसी डयूटी, दंड अथवा शास्ति जो देय होगी, का भुगतान करेगा यदि उसके द्वारा इस अधिसूचना की शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है, यहां वह एक संविदाकार अथवा अंतरिति के संविदाकार द्वारा, है जहां ऐसा स्थानांतरी एक उप संविदाकार है

(iii) भारत सरकार तथा किसी विदेशी कंपनी अथवा कंपनियों अथवा भारत सरकार तथा किसी भारतीय कंपनी अथवा कंपनियों और किसी विदेशी कंपनी अथवा कंपनियों के संघ तथा विदेशी कंपनी अथवा कंपनियों द्वारा संविदा के मामले में से इस आशय का प्रमाण पत्र कि विदेशी कंपनी अथवा कंपनियों की ओर से, जैसा भी मामला हो, अंतरिति द्वारा लिए गए ऐसे माल के हस्तांतरण के लिए कोई विदेशी मुद्रा प्रेषण नहीं किया गया है:

बशर्ते कि इस उपखंड की कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक उप संविदाकार कोई भारतीय कंपनी या कंपनियां हों''।

फा.सं. बी1/20/2013- टीआरयू

(राजकुमार दिग्विजय)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- मूल अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड-(i) में सा.का.नि. सं. 185(अ), दिनांक 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं.27/2013-सीमा शुल्क, दिनांक 10 मई, 2013 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भग-2, खंड-3, उपखंड-(i) में सा.का.नि. 301(अ), तारीख 10 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी जो अंतिम बार संशोधित की गई थी।